# अध्याय – V

# उत्खनन, पुरालेख तथा सर्वेक्षण



**"पुरातात्विक प्रकृति की वस्तुओं की खोज के उद्देश्य से किया गया अनुसंधान पुरातात्विक उत्खनन कहलाता है, इस अनुसंधान चाहे धरती की खुदाई या उसकी सतह की व्यवस्थित खोज की गयी हो, या इसे एक सदस्य राज्य के या प्रादेशिक जल के तल या अधोभूमि में किया गया हो।"[36]**

उत्खनन में खुदाई, खोज, वैज्ञानिक अनुज्ञापन, भवन सर्वेक्षण, मंदिर सर्वेक्षण, प्रागैतिहासिक जलगत पुरातत्वविज्ञान, गांव गांव सर्वेक्षण के कार्य सम्मिलित हैं। पुरातात्विक अवशेषों का उत्खनन भा.पु.स. का प्रमुख उत्तरदायित्व रहा है। प्रा.पु.स्मा.पु.स्थ.अ.अ. 1958 की धाराओं 21 व 24 के अनुसार एक पुरातत्व अधिकारी या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी अथवा अधिनियम के अन्तर्गत इसके लिए प्रदान किए गए लाइसेन्स धारक व्यक्ति किसी भी संरक्षित या असंरक्षित क्षेत्र में उत्खनन कार्य कर सकता है।

भा.पु.स. के द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न अभिकरणों जैसे भा.पु.स. परिमंडलों, शाखाओं, विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्खनन के लाइसेन्स प्रदान किए गए। इन प्रस्तावों की जाँच की गई तथा संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता विशेषज्ञों की स्थायी समिति द्वारा सहायता प्रदान किए जाने वाले पुरातत्वशास्त्र केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड (के.पु.प.बो.)[37] द्वारा सिफारिशें की जाती हैं। हमने भा.पु.स. द्वारा उत्खनन के कर्त्तव्य के निर्वाह में निम्नलिखित कमियां पाईं।

## 5.1 अपर्याप्त दस्तावेजीकरण तथा सू.प्र.प्र.

भा.पु.स. मुख्यालय में के.पु.प.बो. की कार्यप्रणाली लाइसेन्स प्रदान करने के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण तथा स्वीकृत प्रस्तावों की स्थिति संबंधी कोई केन्द्रीकृत सूचना प्रणाली नहीं थी। के.पु.प.बो. की बैठकों के कुछ ही अभिलेख उपलब्ध थे।

---

[36] यूनेस्को, दिल्ली घोषणापत्र 1956

[37] केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड, भारत में पुरातत्व से संबंधित मामलों पर सलाह एवं अनुशंसाएं देता है।

## 5.2 पुरातात्विक उत्खनन तथा खोजों की राष्ट्रीय नीति

प्रधानमंत्री ने (दिसम्बर 2009) 'उत्खनन तथा अन्वेषण की राष्ट्रीय नीति' निर्धारित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। भा.पु.स. की कार्यप्रणाली तथा इन क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने के संबंधी विशिष्ट मुद्दों की जांच करने के लिए पांच उप-समितियाँ बनाई गई।

पुरातात्विक उत्खनन एवं खोज उप-समिति ने पुरातात्विक उत्खनन एवं खोज हेतु राष्ट्रीय नीति हेतु मसौदे को अंतिम रूप प्रदान किया और 23 दिसम्बर 2009 को अनुमोदन हेतु महानिदेशक, भा.पु.स. को प्रस्तुत किया।

हमने पाया कि ये दिशानिर्देश अभी तक मसौदा स्तर पर ही थे (नवम्बर 2012) तथा इस पर प्राप्त मंत्रालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों की फाइल भा.पु.स. से गायब थी। कोई निर्धारित नीति न होने के कारण उत्खनन कार्य मापनीय निष्पादन मानदण्ड व दिशानिर्देश तैयार किए बिना किए जा रहे थे। इस नीति को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कोई नियत समयावधि नहीं थी।

### 5.2.1 अनिवार्य पुरातात्विक प्रभाव आंकलन का प्रावधान

हमने पाया कि भा.पु.स. अप्राधिकृत उत्खनन को प्रभावी ढंग से रोकने में असफल था। पुरातात्विक अवशेषों के बड़े भण्डारों वाले कई स्थलों को विकासात्मक गतिविधियाँ प्रारंभ करने से पहले सांस्कृतिक संसाधन प्रबंध अथवा पुरातात्विक प्रभाव निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं था। हमने पाया कि 2007 में संसद को आश्वासन देने के पाँच साल बाद भी इस मामले में प्रगति नहीं हुई।

***अनुशंसा 5.1:*** *मंत्रालय को त्वरित गति से पुरातात्विक उत्खनन एवं खोज की राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) सिफारिश को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी।

## 5.3 खोज एवं उत्खनन गतिविधियों पर व्यय

खोज एवं उत्खनन भा.पु.स. की प्राथमिक गतिविधि थी। हमने पाया कि भा.पु.स. इन गतिविधियों पर अपने कुल व्यय के एक *प्रतिशत* से कम खर्च कर रहा था। 2009 में के.पु.प.बो. द्वारा इस मामले पर बल देने के बावजूद राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि से प्राप्त करने के विकल्प की खोज नहीं की गई।

## 5.4 उत्खनन का नियोजन तथा आयोजन

### 5.4.1 स्थलों का चयन तथा उत्खनन लाइसेन्सों का प्रदान किया जाना

भा.पु.स. के पास उत्खनन स्थलों के चयन हेतु कोई निर्धारित नीति या दिशानिर्देश नहीं थे। एक निर्धारित समयावधि के भीतर परिप्रेक्ष्य योजना नहीं थी। हमने पाया कि उत्खनन लाइसेंस सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक विवादों या देश के विभिन्न प्रान्तों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नहीं दिए जा रहे थे। भा.पु.स. में उप-अधीक्षण पुरातत्वशास्त्री (उ.अ.पु./अधीक्षण पुरातत्वशास्त्री (अ.पु.) तथा इससे ऊपर के पद के अधिकारी उत्खनन के लिए लाइसेन्स हेतु आवेदन करने हेतु पात्र नहीं थे। हमने पाया कि भा.पु.स. के अपने प्रस्ताव भी किसी सम्पूर्ण विभागीय परिप्रेक्ष्य पर नहीं, बल्कि अ.पु./उ.अ.पु. की व्यक्तिगत पहल पर ही निर्भर थे।

निम्न तालिका लेखापरीक्षा की अवधि में प्राप्त तथा स्वीकृत उत्खनन प्रस्तावों का विवरण दर्शाती है:

**तालिका 5.1: प्राप्त उत्खनन प्रस्तावों का विवरण**

| क्षेत्र सत्र | प्राप्त उत्खनन प्रस्तावों की सं. | स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | भा.पु.स. अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित | अन्य (विश्वविद्यालयों पुरातत्व विभाग, इत्यादि) द्वारा प्रस्तावित |
| 2007-08 | 141 | 22 | 85 |
| 2008-09 | 142 | 21 | 93 |
| 2009-10 | 159 | 40 | 92 |
| 2010-11 | 149 | 23 | 88 |
| 2011-12 | 137 | 24 | 100 |
| | **728** | **130** | **458** |

यह पाया गया कि भा.पु.स. के पास अन्य द्वारा प्रस्तावित 458 उत्खनन कार्यों के प्रारंभ/ समाप्ति के संबंध में सूचना नहीं थी। यह भा.पु.स. द्वारा उत्खनन कार्य की खराब निगरानी को दर्शाता है।

उत्खनन कार्यो के लाइसेंस प्रदान करने तथा के.पु.प.बो. द्वारा भा.पु.स. को की गई सिफारिशों में अपारदर्शिता के मामले भी पाए गए। उदाहरण के लिए, 32[38] प्रस्तावों में, उन्हें अस्वीकृत करने के कारण दर्ज नहीं थे। भा.पु.स. ने इस लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (नवम्बर 2012)।

[38] भा.पु.स. के 17 तथा अन्य अभिकरणों के 15, ब्यौरे **अनुबंध 5.1** में

**यह पाया गया कि कुछ स्थलों को पिछले उत्खननों की रिपोर्ट उपलब्ध हुए बिना ही उन पर पुर्न उत्खनन प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार दुबारा उत्खनन के कारण अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो पाए।**

**2011-12 के दौरान भा.पु.स. ने रोपड़ में एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जिस पर पहले 1950 के दशक में उत्खनन किया गया था। इसी प्रकार, पटने तथा वैशाली में राजा विशाल का गढ़ के स्थलों को भी पहले उत्खनित किया गया था तथा भा.पु.स. द्वारा प्रस्तावित उत्खननों के कोई कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं पाए गए।**

**प. बंगाल में चन्द्रकेतुगढ़ पुरातत्व स्थल की छः बार खुदाई की गई। चार बार कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा तथा दो बार राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा। तथापि, इन छः उत्खननों का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। यह पाया गया कि इस स्थल पर पुनः 2010-11 में खुदाई आरंभ की गई, परंतु इसे बीच में ही छोड़ दिया गया । इसके अतिरिक्त पिछले उत्खननों के दौरान प्राप्त की गई पुरावशेषों की सूची तथा ठिकाने का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया, जिससे तस्करी तथा गुम होने का खतरा उत्पन्न होता है।**

### 5.4.2 अधिसूचित स्थलों पर उत्खनन न होना

केन्द्रीय सरंक्षण हेतु कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के मिलने पर भा.पु.स. द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थल पाए गए जिन पर हमारी लेखापरीक्षा के अंत तक (फरवरी 2013) उत्खनन कार्य शुरू नहीं किया गया। भा.पु.स. के संरक्षित स्मारकों की सूची में कई प्राचीन स्तूप तथा स्थल थे जिनपर कभी उत्खनन नहीं हुआ। कुछ मामले नीचे दिए जा रहे हैं:

- ✓ कोलकाता में भा.पु.स. ने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होने पर 1920 से 1963 के बीच चार स्थल[39] अधिसूचित किए, परंतु इन पर उत्खनन कार्य नहीं किया गया। बानगढ़ स्थल पर 1938 में इसके अधिसूचित होने के 70 वर्ष बाद 2008-09 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया।

- ✓ पटना परिमण्डल में पश्चिमी चम्पारण जिले के चंकीगढ़ संरक्षित स्थलों पर काई उत्खनन कार्य नहीं हुआ।

- ✓ त्रिसूर परिमण्डल में राज्य के एर्नाकुलम जिले के उत्तर परूर के पास कब्र अस्थिकलश का सबसे बड़ा स्थल इलांथीकारा हाई स्कूल के मैदान में पाया गया। भा.पु.स. को इस स्थल के बारे में 2002 से ही जानकारी थी, परंतु 2012 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह पाया गया कि स्कूली बच्चे प्राचीन कब्रों के अस्थिकलश के बिखरे टुकड़ों के बीच खेल रहे थे। स्थल को न संरक्षित किया गया था न इस पर बाड़ लगाई गई थी।

[39] i) शैतान का टीला तथा राजा कर्ण का महल ii) बारहा मिहिर दिप्पी नाम के रूप से जाना जाने वाला प्राचीन टीला, iii) नाधिया, वर्धवान, iv) वीरभूम के दो टीले और बार्कुरा दिउल टीला

यह भी पाया गया कि प्रस्तावों पर पूर्व में कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए बिना वी.आई.पी. अभिनिर्देश के कारण उत्खनन किए गए। उन्हें वैज्ञानिक अनुमति दी गई। उदाहरण के लिए हैदराबाद परिमण्डल के ज्योति कुडप्पा पर किया गया वैज्ञानिक अनुमति वहाँ किसी पुरातात्विक साक्ष्य मिलने के उचित कारण के बिना दी गई।

***अनुशंसा 5.2:*** *मंत्रालय को पुरातात्विक उत्खनन करने हेतु एक परदर्शी प्रक्रिया सूत्रबद्ध करनी चाहिए और सभी मामलों में उत्खनन कार्यों के विस्तृत निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए।*

***अनुशंसा 5.3:*** *भा.पु.स. स्थलों की महत्ता के आधार पर उत्खनन परियोजनाओं के लिए एक प्राथमिकता के लिए एक प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु प्रणाली निर्मित करने पर विचार करें। सूची को वार्षिक रूप से उद्यतन किया जाए।*



मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि उत्खनन प्रारंभ करने के लिए एक स्थापित प्रणाली है और उत्खनन निष्कर्षों को नियत प्रक्रिया के अनुसार ही दर्ज किया जाता था। तथापि यह तथ्य शेष रहता है कि ऐसे अनेक संरक्षित स्थल थे जिन पर दशकों पूर्व पुरातात्विक साक्ष्यों की पहचान किए जाने के बावजूद उत्खनन प्रारंभ किया जाना शेष था। मंत्रालय ने आगे बताया (मई 2013) कि भा.पु.स. एन.एम.एम.ए. के लिए नियत संपूर्ण कार्यक्रम के भाग के रूप में प्राचीन स्थलों की संस्कृति-वार सूची तैयार करने के लिए कदम उठाएगा (मई 2013)। तथापि किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

### 5.4.3 अनुमोदित उत्खनन प्रस्तावों का प्रारंभ न होना या अपूर्ण छोड़ दिया जाना

ऐसे मामले पाए गए जिनमें भा.पु.स. से अनुमोदित प्रस्ताव प्रारंभ नहीं किए गए या अपूर्ण छोड़ दिए गए इसके कारण समान्यतः तकनीकी कर्मचारियों व श्रमिकों की कमी तथा निधियों की कमी होना था। तथापि अनुवर्ती वर्षों में इन समस्याओं का हल करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए।

#### 5.4.3.1 शुरू नहीं किए गए उत्खनन

i. चण्डीगढ़ परिमण्डल में 2007-08 के दौरान उत्खनन कार्य[40] का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया परंतु श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं हो सका। यह पाया गया कि तथापि उत्खनन नहीं किया गया, परंतु कम्प्यूटर कैमरा, फोटो सामग्री, लेखन सामग्री तथा उत्खनन हेतु आवंटित निधियों में से रसोई का सामान इत्यादि की प्राप्ति में ₹14.98 लाख का व्यय हुआ।

[40] बौद्ध स्तूप, असंद, हरियाणा

ii. मोदीकुप्पम, चैन्नई परिमण्डल पर उत्खनन हेतु लाइसेंस 2009-10 के दौरान प्रदान किया गया। यद्यपि तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। कार्य के प्रारंभ करने हेतु तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था करने का कोई प्रयत्न किए जाने के प्रमाण नहीं मिले।

### 5.4.3.2 अपूर्ण उत्खनन

i. गुवाहाटी परिमण्डल में, 2009 में अम्बारी पुरातात्विक स्थल से सीढ़ियों के आठ चरण खोद कर निकाले गए। 2003 में अपूर्ण छोड़ा गया उत्खनन समुचित जल निकासी योजना के न हाने के कारण 2009 तक पूर्ण नहीं हो सका। भा.पू.स. ने समस्या हल करने और उत्खनन कार्य पूर्ण करने के काई उपाय नहीं किए।

ii. 2008 में गुवाहाटी परिमण्डल में, गढ़गांव में अहोम राजा के महल में उत्खनन 17 दिनों तक किया गया और सुरक्षा खतरों के कारण बीच में छोड़ दिया गया। तथापि राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली के बाद भी इस पुनः आरंभ करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

iii. रांची परिमंडल में, 2003-05 के दौरान सरिडकेल में प्रारंभ किए गए उत्खनन कार्य स्थानीय विरोध के कारण छोड़ दिये गये। इसके बाद इसे पुनः आरंभ नहीं किया गया।

iv. रांची परिमंडल में बेनीसागर में 2006-07 और 2007-08 में वैज्ञानिक अनुमति करने का प्रयत्न किया गया परंतु संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में पता चला कि इसे भी अधूरा छोड़ दिया गया। कार्य को पूर्ण न करने के कोई कारण दर्ज नहीं पाए गए।

धोलावीरा में अपूर्ण उत्खनन

**हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल, धोलावीरा में उत्खनन 1990 में प्रारंभ किया गया। उत्खनन के प्रभारी अधिकारी 2002 में सेवानिवृत हो गए और उन्होनें अभी तक उत्खनन की स्थिति के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त न होने पर आगे उत्खनन नहीं किया गया।**

## 5.5 प्राचीन टीलों का संरक्षण

भा.पु.स. ने 221 प्राचीन टीलों को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया था। तथापि इन टीलों के रखरखाव और उत्खनन की कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। इन टीलों की देखभाल परिमंडल (जो संरचनात्मक संरक्षण) किया करता था और इनका अनुरक्षण उत्खनन प्रभाग नहीं करता था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षणों में पाया गया कि इनमें से कई टीलों को बाढ़ से घेरा नहीं गया था तथा इन पर खेती होती थी। भा.पु.स. द्वारा इन स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण हेतु कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई।

निकुठी टीले पर भू-क्षरण

**कोलकाता परिमंडल में निकुठी टीला, मालदा में दयुल स्थल, बानगढ़ स्थल में यह पाया गया कि संरक्षित स्थलों को बाड़े से नहीं घेरा गया था और सीमांकित व रक्षित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप वारकोना दयुल स्थल और बानगढ़ स्थल पर अप्राधिकृत कृषि कार्य हो रहा था।**

पटना परिमण्डल में एक अन्य संरक्षित स्थल-प्राचीन टीला, बक्सर अप्राधिकृत निर्माण के कारण भूमि की एक पट्टी के रूप में ही बचा रह गया था। पटना परिमंडल के पश्चिमी चम्पारन में चार वैदिक कब्र के टीलों में मिट्टी खोदी गई पाई गई जिससे उत्खनित क्षेत्र को क्षति हुई थी।

पश्चिमी चंपारन में चार वैदिक कब्र के टीलों में की गई मिट्टी की खुदाई के फोटो

भा.पु.स. ने बताया (नवंबर 2012) कि उत्खनन के पश्चात् स्थल का अनुरक्षण पर प्रति मामले के आधार पर निर्णय किया गया और उत्खनन के बाद यदि किसी असंरक्षित स्थल पर संरक्षण हेतु विचार किया जाता है तो आम तौर पर इसे बाड़े से घेर दिया जाता है। यद्यपि कोलकाता परिमण्डल के उपरोक्त मामलों में यह पाया गया कि संरक्षित स्थलों पर भी बाड़ नहीं लगाई गई थी तथा समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

## 5.6 उत्खनित स्थलों की स्थिति

जॉन मार्शल की संरक्षण नियमावली में प्रावधान किया गया था कि सभी उत्खननों को प्रतिकूल जलवायु से बचाया जाना अपेक्षित था। उत्खनित स्थलों का संरक्षण स्पेन व चीन सहित कई देशों में किया जाता था। गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनित स्थल के ऊपर एक संरक्षण आवरण (लोहा/पीवीसी/एक्रिलिक) को अधिष्ठापित किया। भा.पु.स. के उत्खनित स्थलों पर इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं पायी गयी।

**उत्खनित स्थलों के अनुरक्षण हेतु अपनाये गये अच्छे (अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय) अभ्यास**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ग्रान डालिना, ऐटाप्यूरका, पर्वत, स्पेन | टेराकॉटा आर्मी, चीन | बौद्ध विहार, वाडनगर, गुजरात |

तथापि, भा.पु.स. के उत्खनित स्थलों का अनुरक्षण तथा समुचित रखरखाव नहीं हो रहा था जिससे कुछ स्थल गुम हो गए और उन्हें ढूढ़ा नहीं जा सकता । उत्खनन स्थलों के अनुचित रखरखाव और संरक्षण के कुछ मामले निम्नोक्त हैं:

i. असम के शिवसागर जिले में नजीरा में चार मैडम्स के समूह पर 2001-2003 के दौरान उत्खनन किया गया और 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 23.85 लाख का नवीकरण कार्य प्रारंभ किया गया। इस नवीकरण को पूर्ण नहीं किया गया और स्थल मौसम की विषम परिस्थितियों से असुरक्षित था।

**चराईदेओ, शिवसागर, असम में उत्खनित मैडम्स 05/05/2010**

**10.06.2012 को चराईदओ शिवसागर, असम में उत्खनित मैडम्स का अद्यतन दृश्य**

ii. लखनऊ परिमंडल में सांदी-खेड़ा, पाली, शाहबाद नामक संरक्षित स्थलों का पता नहीं लग पा रहा।

iii. धारवाड़ परिमंडल में कानागानाहल्ली, सन्नाती के उत्खनित स्थल का रखरखाव एवं संरक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई स्थल दौरे किए जाने व वीआईपी निर्देशों के बावजूद समुचित रखरखाव तथा संरक्षण नहीं किया गया। स्थल के दोषपूर्ण संरक्षण के मामले भी पाए गए। (मामला अध्ययन 6 देंखें)

iv. बड़ौदरा परिमण्डल में 1951 से 1954 के बीच संरक्षित घोषित किए गए सात उत्खनित स्थल[41] पूर्णतः नष्ट/अधिक्रमित हो गए थे क्योंकि उनका समुचित संरक्षण नहीं किया गया था। वेनीवदर का टीला जलमग्न हो गया व बाकी छः स्थल पर कृषि हो रही थी और उन पर आवास बना लिए गए थे।

[41] i) प्राचीन टीला स्थल, वैनीवदार, ii) सेजक पुर में प्राचीन (टीला) स्थल, iii) ऐतिहासिक स्थल, अकोटा, वड़ोदरा प्राचीन स्थल, iv) गोहिलवाड़ टीम्बो, जिला अम्रेली, v) अमरापुरा में माइक्रोलीथिक स्थल, vi) सिहोर में प्राचीन स्थल तथा vii) कामरेज में प्राचीन स्थल

अमरेली, गुजरात में प्राचीन स्थल जिस पर घर बने हुए हैं

v. औरंगाबाद परिमण्डल में पाँच स्थल[42] का पता नहीं चल पा रहा।

vi. संरक्षित उत्खनित स्थल के कुप्रबंधन का सबसे चकित करने वाला मामला हड़प्पा सभ्यता के विश्व विख्यात स्थलों का पाया गया जिनके लिए भा.पु.स. विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान करने की माँग कर रहा है। (विवरण मामला अध्ययन 7 में)

vii. हालेबीडू, कर्नाटक में 1984-87 में एक बड़ा मंदिर परिसर उत्खनित हुआ। यह पाया गया कि उत्खनित मूर्तियों तथा पुरावशेष बिखरे पड़े थे और मंदिर के चारों ओर बाड़े 20 वर्ष बीत जाने पर 2008-09 में ही लगाए गए।

[42] अर्थात जोरवे, अहमदनगर में जरासंघ नगरी ii) अरसोदा, गढ़चिरोली में पत्थर वृत iii) गढचिरोली में बीस पुरासमाधियों का समूह iv) निलदहो में पत्थर वृत v) पत्थर वृत, तुगलकघाट नागपुर

# मामला अध्याय 6: कनगनहल्ली, सन्नाती (धारवाड़ परिमण्डल) में उत्खनन

कनगनहल्ली का उत्खनित स्थल

1993-94 में कर्नाटक सरकार के सन्नाती में भीमानदी पर एक बांध के निर्माण हेतु पुरातात्विक अनुमति हेतु भा.पु.स. के बेंगलुरू परिमण्डल के पास गई। इस प्रयोजन से की गई खोज के दौरान इस क्षेत्र में कई प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ, संरचनात्मक अवशेष और प्राचीन अवशेष पाए गए। 1996-2002 में भा.पु.स. द्वारा किए गए विस्तृत उत्खननों के बाद कनगनहल्ली के पास सन्नाती में एक अनोखे महास्तूप (बृहद स्तूप) के अवशेष खोजे गए। इस स्थल को विशेषज्ञों ने एक दुर्लभ बौद्ध स्थल होने का दावा किया। अन्य पट्टिकाओं में एक अनोखी पट्टिका है जिस पर राजा अशोक का नामोल्लेखयुक्त मूर्ति चित्र है, जैसा विश्व में दूसरा नहीं है। इस 23 एकड़ के स्थल को 2003 में संरक्षित स्थल घोषित किया गया।

**स्थल की स्थिति:**

प्लास्टिक से ढ़की गई पट्टिकाओं पर नमी

स्थल पर बिखरी पडी पट्टिका

इस स्थल पर ₹1.42 करोड़ का व्यय करने बाद भी संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में यह पाया गया कि स्तूप के उत्खनित और पट्टिकांए खुले में मौसमी विषमताओं के बीच बिखरी पड़ी थी। कई भागों में पानी जमा हो गया था और पट्टिकाओं पर काले धब्बे हो गए थे। कुछ पट्टिकाओं को बारिश के पानी से बचाने के लिए प्लास्टिक की पर्तों से ढ़ंका गया था। तथापि नमी जमा होकर ये पट्टिकाएं नष्ट हो रही थीं।

जून 2012 में म.नि., भा.पु.स. ने निर्देश दिया कि अशोक पट्टिका और स्तूप के अन्य उत्खनित भागों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान किए जाएं। परंतु ऐसा नहीं किया गया (दिसंबर 2012)। केन्द्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश के दौरे के बाद (अगस्त 2012) अशोक पट्टिका के लिए मात्र एक कपड़े की आवरण प्रदान की गई।

कपड़े के आवरण में अशोक पट्टिका

यह भी पाया गया कि स्थल पर गतिविधियाँ समुचित सावधानीपूर्वक नहीं की जा रही थीं। पट्टिकाओं पर बिना समुचित जांच किए हुए अचुंबकीय स्टील छड़ और इपॉक्सी रेसिन का प्रयोग कर मरम्मत का निष्फल कार्य किया गया। भा.पु.स. ने अशोक पट्टिका की मरम्मत की जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई।

स्थल पर दोषपूर्ण मरम्मत कार्य

स्थल पर भागों की सूची उपलब्ध नहीं थी। यह भी पाया गया कि 2012 में कुछ पट्टिकाओं की नकल बनाते समय भा.पु.स. ने सांचों के रूप में रबर जैसे अधिक नर्म विकल्पों को न चुनकर फाइबर के शीशे का प्रयोग किया गया। इस सांचे से कुछ शीशे के टुकड़े टूट कर मूर्तिचित्र के कोनों में फसे रह गए तब भा.पु.स. अधिकारियों ने उन्हें हटाने के लिए रसायन और उसके बाद तेल का प्रयोग किया जिससे संगमरमर की पट्टिकाएं बदरंग और क्षतिग्रस्त हो गईं।

ग्राम विकास मंत्री श्री जयराम रमेश के एक अभिनिर्देश के उत्तर में संस्कृति मंत्रालय के आश्वासनों (मई 2012) के बावजूद स्थल अनावृत और उपेक्षित ही पड़ा रहा।

## 5.7 उत्खननों की निगरानी

उत्खनन सख्त पर्यवेक्षण और निगरानी में किए जाने होते हैं। उचित न होने से मूल्यवान सामग्री की क्षति हो सकती है। भा.पु.स. मुख्यालय ने सूचित किया (मई 2012) कि निदेशक (उत्खनन) जब जब उत्खनन स्थलों का दौरा करते थे, तो समुचित ढंग से उत्खनन हेतु स्थल पर निर्देश देते थे।

तथापि भा.पु.स. मुख्यालय में कोई निरीक्षण रिपोर्ट दर्ज नहीं पाई गई। उत्खनन स्थल पर भी निदेशक या अन्य किसी उच्चतर अधिकारी के कोई निर्देश दर्ज नहीं पाए गए। भा.पु.स. ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) कि ऐसे कोई अभिलेख नहीं थे क्योंकि निदेशक मुख्यालय में कार्य की व्यस्तता के कारण स्थलों का दौरा नहीं कर पाए थे।

***अनुशंसा 5.4:*** *भा.पु.स. को निदेशक (उत्खनन) द्वारा चालू उत्खनन स्थलों पर निरीक्षण के दस्तावेजीकरण को अनिवार्य बनाकर एक प्रभावी निगरानी प्रणाली निर्मित करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि प्राचीन स्थलों के अनौपचारिक निरीक्षण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना एक समान्य प्रथा है। यह उत्तर भा.पु.स. द्वारा औपचारिक ढ़ंग से निरीक्षण तथा इन निरीक्षणों के निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता को बल प्रदान करती है।

## 5.8 रिपोर्ट तैयार करने का कार्य

उत्खनन पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसी भी पुरातात्विक उत्खनन का अनिवार्य अंग है। किसी उत्खनन अथवा अन्वेषणों का समुचित दस्तावेजीकरण या रिपोर्टिंग न की जाए तो वह कार्य निष्फल हो जाता है क्योंकि इससे आगे शोध करने और निष्कर्षों के विश्लेषण हेतु इनपुट प्राप्त नहीं होगें। यूनेस्को की सिफारिशों में भी सदस्य राज्यों/उत्खनिकों को उत्खनन कार्य के परिणामों को बंधपत्र में निर्धारित समयावधि के भीतर, या जिन मामलों में यह निर्धारित न हो, तर्कसम्मत समयाविधि में प्रकाशित करने का आग्रह किया गया था।

### 5.8.1 रिपोर्ट तैयार करने में विलंब

पूर्ण कर लिए गए उत्खनन की रिपोर्ट तैयार करने मे अत्याधिक विलम्ब पाए गए। 2005 में 24 माह की समयावधि के भीतर लम्बित उत्खनन रिर्पोटों को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, भा.पु.स. ने 56 लम्बित उत्खनन रिपोर्टों को चिन्हित किया जिन्हें 2007 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु सितम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार तक केवल 25 रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गई थीं (**अनुबंध 5.2**)।

कुछ मामलों में रिपोर्ट 57 वर्षों से लम्बित पाई गई। जैसे मथुरा, श्रावस्ती और रोपड़ जैसे प्रमुख उत्खननों के क्रमशः 1954-55, 1958-59 और 1953-54 में किए गए उत्खननों की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूर्ण किया जाना अभी शेष है। इतने विलंबपूर्ण स्तर पर पुनः उत्खनन किए

बिना सही रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं था। भा.पु.स. में दस्तावेजीकरण और नियंत्रणों की दशा को देखते हुंए स्थल के प्रारंभिक रिकॉर्ड अपूर्ण थे उनका पता नहीं चल रहा था।

भा.पु.स. ने सूचित किया (अप्रैल 2010) कि दो उत्खननों अर्थात कुनट्टर तमिलनाडु तथा नालंदा (बिहार) के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं था क्योंकि उत्रवनिक सामग्री निर्जीव रूप में थी और पहचानी नहीं जा सकती थी। इसके अतिरिक्त उत्खनित मर चुके थे। इससे रिकार्डों उत्खनित स्थलों से प्राप्त सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु पालन किए जा रहे नियमों पर बड़ा गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

लम्बित रिपोर्टों की अद्यतन समेकित रिपोर्ट रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी। **अनुच्छेद 5.8.1** में दिए गए 56 मामलों के अतिरिक्त भा.पु.स. द्वारा 2007-08 से 2011-12 में प्रारंभ किए गए 113 उत्खनन/खोज कार्य हेतु रिपोर्टों में से केवल 12 मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिनमें से केवल एक रिपोर्ट को भारतीय पुरातत्वविज्ञान एक समीक्षा (आई ए आर) में प्रकाशित किया गया। विवरण **अनुबन्ध 5.3** में दिए गए हैं।

यह भी पाया गया कि राखीगढ़ी की विस्तृत उत्खनन रिपोर्ट के न होने के कारण इस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अभिलेखन हेतु नामांकन के दस्तावेज़ के कार्य में सम्मिलित किए जाने से हटा दिया गया।

भा.पु.स. ने बताया (नवम्बर 2012) कि रिपोर्ट लेखन कार्य की आवधिक निगरानी 2005 से प्राप्त भा.पु.स. द्वारा सतत रूप से की गई तथा रिपोर्ट लेखकों को रिपोर्ट के शीघ्र पूर्ण करने की सुविधा हेतु सभी प्रकार की उपस्कर सहायता प्रदान की गई तथापि लम्बित रिपोर्टों की स्थिति से भा.पु.स. के उत्तर को प्रमाणित नहीं करती।

लम्बित रिपोर्टों के कुछ प्रमुख मामले प्रस्तुत हैः

**तालिका 5.2 उत्खनन के लम्बित रिपोर्ट के मामले**

| स्थल | उत्खनन किए जाने का वर्ष |
|---|---|
| रोपड़ | 1953-54, 1954-55 |
| मथुरा | 1954-55, 1973-74 से 1976-77 |
| हुलास | 1978-79 से 1982-83 |
| ढ़ोलावीरा | 1989-93, 1994 -95, 1996 से 2004 |
| सांगोल | 1986-87 से 1990-91 |
| राखीगढ़ी | 1997-98 से 1999-2000 |
| चिचाली | 1998-99; 1999-2000 |
| हम्पी | 1975-76,1976-77,1978-79 से 2001-02 |
| श्रावस्ती | 1958-59, 1986-87, 1998-99, 2000-01, 2001-02 |
| रामापुरम | 1980-81 से 1983-84 |
| बानावाली | 1983-84 से 1986-87 |
| हर्ष का टीला | 1987-88 से 1989-90 |

### 5.8.2 रिपोर्ट लिखने में विलम्ब के कारण

यह पाया गया कि उत्खनन करने वाले भा.पु.स. के अधिकारियों को रिपोर्ट लिखने के लिए अलग से कोई समय नहीं दिया गया और ऐसा कोई निर्दिष्ट समयावधि नहीं थी। रिपोर्ट लिखने का कार्य उत्खनन के काफी समय बाद प्रारंभ किया जाता था और भा.पु.स. के अपने उत्खननों के लिए कभी-कभी इस प्रमुख उत्खनिकों के सेवानिवृत होने के बाद भी प्रारंभ किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट लिखने का कार्य लम्बित होता था और सेवानिवृत अधिकारियों के वेतन पर अतिरिक्त व्यय होता था । यह पाया गया कि रिपोर्ट लिखने के कार्य में ऐसे विलम्ब के लिए ₹ 63.75 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह भी पाया गया कि 10 उत्खनिक जिनकी रिपोर्ट लम्बित थी, मर गए अथवा खराब स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के कारण अशक्त हो गए थे और एक उत्खनिक भा.पु.स. को छोड़कर किसी अन्य संगठन में जा चुका था। भा.पु.स. अपने ही अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट लिखने में की जानेवाली देरी के विरूद्ध उपाय करने में असफल रहा।

भा.पु.स. ने बताया (मई 2012) कि भा.पु.स. द्वारा अधिकारियों के विरूद्ध सख्त उपाय करने को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता था क्योंकि अधिकारियों पर अन्य प्रशासकीय क्रियाकलापों का अत्यधिक भार था और असामयिक स्थानांतरणों के कारण विलम्ब हो जाता था। भा.पु.स. का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उत्खनिकों द्वारा रिपोर्ट लेखन की प्राथमिकता के उत्तरदायित्व से समझौता नहीं किया जा सकता।

***अनुशंसा 5.5:*** *उत्खनन के प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय रिपोर्ट प्रस्तुत तथा प्रकाशित किए जाने की समय सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए ओर उसका सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। भा.पु.स. को रिपोर्ट लेखन कार्य को प्रभावित करने वाले कारणों का समाधान करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि अंतिम तिथि और समय सीमा निश्चित करने के बावजूद 30 उत्खनन रिपोर्टों को प्रकाशन हेतु प्रस्तुत करना बाकी था। मंत्रालय ने बताया कि भा.पु.स. ऐसी प्रणाली का निर्माण करने की संभावना की खोज करेगी जिसमें उत्खनन पर रिपोर्ट लिखने का कार्य परियोजना प्रणाली से किया जाए जिससे उत्खननों के निदेशकों को सहायता प्रदान की जा सके और तर्कसंगत समय सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

## 5.9 उत्खनित सामग्री की स्थिति

रिपोर्ट लेखन में देरी से उत्खनन में खोजे गए पुरावशेषों की दशा और गणना पर भी प्रभाव पड़ा। जब तक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होती थी, कई वस्तुएं भा.पु.स. को समुचित रिकार्ड उपलब्ध कराए बगैर उत्खनन करने वाले के संरक्षण में रहती थीं।

कुछ मामलों में जब उत्खनन करने वालों को स्थानांतरित किए जाने पर उन्हें इन पुरावशेषों को एक से अन्य स्थान पर ले जाने की आज्ञा दे दी गई-जैसे धोलावीरा, वड़ोदरा परिमण्डल और सिरपुर, रायपुर परिमण्डल के स्थल पर उत्खनन कार्य। धोलावीरा में उत्खनित सामग्री को 12 वर्षों के बीत जाने के बाद भी सौंपा नहीं गया। ऐसी स्थिति में बिना समुचित बीमा और सुरक्षा के उत्खनन करने वाले के पास पड़े हुए पुरावशेषों की क्षति या खो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।



यह पाया गया कि भा.पु.स. में अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रूप से उत्खनन, खोजों और गांव-गांव सर्वेक्षणों में खोजी और संग्रहित की गई कलाकृतियों, पुरावशेषों तथा मूर्तियों का रिकार्ड रखने हेतु माल-सूची नहीं रखी जा रही थी। कई मामलों में, जैसा कि अध्याय 6 में विस्तार से बताया गया है, उत्खनित पुरावशेषों को दर्ज नहीं किया गया था और उन्हें भा.पु.स. परिमण्डल के कार्यालयों स्मारकों तथा भण्डार गृहों में फेंका पड़ा हुआ पाया गया था।

***अनुशंसा 5.6:*** *पुरावशेषों की सुपुर्दगी तथा रखरखाव हेतु एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है जिसमें उत्तरदायित्व तथा हानि की जवाबदेही तय की जा सके। इन पुरावशेषों के भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।*

***अनुशंसा 5.7:*** *भा.पु.स. को उत्खनित पुरावशेषों तथा उनके ठिकानों की सूची तैयार करनी चाहिए और इस सार्वजनिक क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जिससे शोधार्थियों द्वारा इनका संदर्भ/शोध हेतु प्रयोग किया जा सके।*

मंत्रालय ने (मई 2013) इस सिफारिश को सहर्ष स्वीकार करते हुए बताया कि भा.पु.स. उत्खनिक द्वारा उत्खनन के तीन माह के भीतर खोद कर निकाले गए पुरावशेषों की वस्तु सूची तैयार कर उसे संगठन की वेबसाइट पर, सामान्य जन की जानकारी हेतु प्रस्तुत करेगा।

## 5.10 उत्खनन तथा खोज संबंधी अन्य गतिविधियाँ

अन्य गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

| क्र.सं. | भा.पु.स. की गतिविधियां | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | गांव गांव सर्वेक्षण | • पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज का एक अन्य तरीका<br>• श्रम शक्ति के अभाव के कारण आजकल नहीं किए जा रहे। |
| 2 | जलगत पुरातत्वशास्त्र | • जलगत पुरातत्वशास्त्र की एक विशेषज्ञता शाखा की स्थापना 2001 में की गई।<br>• जलगत पुरातत्वशास्त्र की कोई परिप्रेक्ष्य योजना या नीति नहीं थी। |

| | | |
|---|---|---|
| | | • मई 2011 तक 17 परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं।<br>• 2011 में इस क्षेत्र के एकमात्र प्रशिक्षित अधीक्षक पुरातत्वविद को असम विश्वविद्यालय पर प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी गई।<br>• एक अन्य स.अ.पु. व फाटोग्राफर को क्रमशः पुरातात्विक संग्रहालय तथा रसायन शाखा, जयपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया।<br>• शाखा श्रम शक्ति के अभाव में लगभग निष्क्रिय हो गई। |
| 3 | भवन सर्वेक्षण परियोजना | • 1977 में 16वीं से 19वीं सदी के घरेलू और धर्मनिरपेक्ष भवनों का चयन करने और उनके विवरण का दस्तावेजीकरण करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।<br>• दस्तावेजीकरण के बाद यदि उचित समझा जाए तो रिपोर्ट को भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा (आई ए आर) में प्रकाशित किया जाए। भवन सर्वेक्षण परियोजना नई दिल्ली में स्थित थी।<br>• पिछले पांच वर्षों में इसके द्वारा मात्र दो परियोजनाएं प्रारंभ की गई और इसके पहले की परियोजनाओं की रिपोर्ट निदेशक (उत्खनन) को भेजी गई। इनमें से कोई भी आईएआर में प्रकाशित नहीं की गई।<br>• रिपोर्ट प्रकाशन योग्य न पाए जाने के कोई कारण दर्ज नहीं किए गए। अतः किसी ठोस परिणाम के न प्राप्त होनें पर इस परियोजना को कार्यन्वित करने के कारण पता नहीं किए जा सकते थे।<br>• निदेशक (उत्खनन) द्वारा परियोजनाओं की नियमित निगरानी नहीं की जा रही थी।<br>• परियोजना के लिए भवनों का चयन करने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं था। |
| 4 | मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाएं भोपाल और चैन्ने | • इसका उद्देश्य देश के अमूल्य प्राचीन मंदिर कला तथा स्थापत्य कोष का दस्तावेजीकरण करना था।<br>• मंदिर सर्वेक्षण की रिपोर्ट के प्रकाशन में बड़े विलम्ब<br>• 1984 से 2011 की कालावधि की पाँच परियोजना रिपोर्ट म.नि., भा.पु.स. को प्रकाशन हेतु प्रस्तुत की गई। तथापि अब तक इनमें से किसी का भी प्रकाशन नहीं हुआ। |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | पूर्व-इतिहास शाखा | • प्राक्-इतिहास के क्षेत्र में शोध किया।<br>• एक क्षेत्र विशेष में प्रागैतिहासिक अवशेषों को जानने अथवा उस प्रागैतिहासिक संस्कृति की संपूर्ण बसावट व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने हेतु क्षेत्रों की खोज की गई।<br>• 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्राक-इतिहास पर 14 रिपोर्ट आई.ए.आर में प्रकाशन हेतु प्रस्तुत की गई, जिनमें से नौ को के.पु.प.बो. द्वारा अनुमोदित किया गया परंतु इनमें से किसी को भी प्रकाशित नहीं किया गया।<br>• वर्ष 2003-04 तक के कार्यों के बकायों का ढ़ेर वर्ष 2011 में प्रकाशित हो पाया। |



### 5.10.1 आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से पुरातात्विक जाँच

पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिकी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे भू-बेधी राडार (जीपीआर), चुम्बकीय व प्रतिरोधकता सर्वेक्षण वैश्विक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और स्थिति-निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जैसी अनेक नई प्रौद्योगिकी उत्खनन हेतु उपलब्ध थी। भा.पु.स. के पास स्वयं कोई असवरंचना/उपकरण नहीं थे और उत्खनन पारम्परिक विधि से किए जाते थे। भा.पु.स. के अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु भा.पु.स. ने 2007 में भा.प्रौ.स., कानपुर के साथ पुरातत्वविज्ञान में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग संबंधी एक स.ज्ञा.पर हस्ताक्षर किए। सामान्य सर्वेक्षण और जीपीएस, जीआईएस के लिए कानपुर में दो प्रशिक्षण ₹11.60 लाख की लागत पर आयोजित किए गए और 30 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

यह पाया गया कि वास्तव में प्रशिक्षित अधिकारियों में से मात्र दो ही भा.पु.स. के 2007-08 के बाद किए गए उत्खननों में उपरोक्त प्रणाली के प्रयोग में सम्मिलित थे।

## 5.11 पुरालेखी अध्ययन

पुरालेख पुरातत्वशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध मिट्टी, पत्थर या धातु की टिकियों या शिलाओं पर उकेरे गए लेखों को पढ़नें और समझने से है। यह लेख अधिकांशतः प्राचीन भाषाओं/लिपियों में लिखे होते हैं, जो अब लुप्त हो गई होंगी। पुरालेख शाखा का प्रमुख प्रकार्य भारत के अनेक राज्यों के पुरालेखी सर्वेक्षण प्रारंभ करने और संस्कृत, द्रविड़ और अन्य भाषाओं में पत्थर, ताम्र पत्र व अन्य पदार्थों पर लिखे गए पुरालेखों की नकल करना था। पढने और अनुलेख करने के बाद शिला लेखों को भारतीय पुरालेखन के वार्षिक प्रतिवेदन में सूचीबद्ध किया जाता है। तथापि पुरालेखन शाखा के संबंध में कोई अधिनियम/नियम/दिशानिर्देश नहीं थे।

### 5.11.1 पुरालेखी अध्ययन के तथा मानवशक्ति की स्थिति

भा.पु.स. के पुरालेखन कार्य का प्रबंधन करने वाले पुरालेख निदेशालय का मुख्यालय मैसूर में था और चैन्नै, नागपुर और लखनऊ में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय थे। निम्न तथ्य पाए गए:

i. अक्तूबर 2006 से कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था।

ii. अधीक्षण पुरातत्वविद् के दो पद क्रमशः 1998 और 2004 से रिक्त थे। पदस्थ कार्मिकों की संख्या 45 की अनुमत संख्या के विपरीत 25 थी।

iii. यह पाया गया कि 2007-08 से 2011-18 के दौरान 1725 पुरालेखी वस्तुएं पायीं गईं। तथापि भारतीय पुरालेखन पर मात्र 1997-98 तक वार्षिक प्रतिवेदन का निर्माण और प्रकाशन किया जा चुका था। अनुचित अनुमान और प्रचार की कमी के कारण मार्च 2012 तक इस प्रतिवेदन के 43464 प्रतियों की सीमा तक न बेची जा सकी पुस्तकें थी जिनका मूल्य रु 53.14 लाख आंका गया।

iv. 1955 तक संग्रहित किए गए शिलालेखों पर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में दक्षिण भारतीय शिलालेख के खण्ड प्रकाशित हुए। शेष अभिलेखों का प्रकाशन होना बाकी था। 1995 से 2011 के दौरान छः विभागीय विद्वानों को और 2009 में तीन बाह्य विद्वानों को सौंपे गए कार्य लम्बित थे। इसने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण उत्तर भारतीय अभिलेखों (संस्कृत) पर कोई कार्य नहीं किया गया।

v. विभिन्न कालों/राजवंशों के अभिलेखों पर विभिन्न लेखकों द्वारा रचित कार्पस इन्स्क्रिप्टियोनम इण्डीकेरम[43] के मात्र सात खण्ड प्रकाशित हुए थे। इन खण्डों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य या योजना नहीं बनाई गई थी।

vi. चैन्नै क्षेत्र की पुरालेख शाखा में 1991-92 से 2011-12 के दौरान 5440 पुरालेखी सामग्री संग्रहित की गई। तथापि 1998-99 तक संग्रहित मात्र 2383 शिलालेखों का अनुलेखन किया जा चुका था और शेष 3057 (57 *प्रतिशत*) का अनुलेखन होना बाकी था।

वर्ष 1936-38 के दौरान संग्रहित तेलुगु शिलालेखों और वर्ष 1939-45 के तेलुगु शिलालेखों का संपादन का अनुलेखन और प्रकाशन होना अभी बाकी था। 1916 और 1905 के वर्षों में संग्रह किए गए दक्षिण भारतीय शिलालेखों का अनुलेखन और प्रकाशन होना बाकी था। पुरालेखन शाखा, नागपुर जो अरबी और फारसी के शिलालेखों को पढ़ने और प्रकाशित कराने हेतु उत्तरदायी था, ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान संग्रहित किए गए 367 संख्या में अभिलेखों में से 297 (80 *प्रतिशत*) को पढ़ लिया था।

---

[43] कॉर्पस इंसक्रिपटियोनम इंडिकेरम एक विशेष प्रयोजन की पुस्तक है, जिसमें एक विशेष राजवंश या एक अवधि के इतिहास से संबंधित अभिलेखों पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी का विस्तार से वर्णन है।

**क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊमें 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 1.04 करोड़ का व्यय करने के बावजूद किसी शिलालेख को अनुवादित किया, पढ़ा, समझा और भारतीय पुरालेख के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित नहीं किया गया।**

### 5.11.2 अभिलेखों का प्रकाशित न होना

1997-98 से 2011-12 की अवधि में चैन्नै शाखा से कुल 644 अनुलिखित शिलालेख और पुरालेखन शाखा, नागपुर से 31 शिलालेखों को महानिदेशक, नई दिल्ली को पुरालेख पर वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशन हेतु अग्रेषित किया गया। तथापि अब तक कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है। भारतीय पुरालेख पर वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन में 12 वर्षों की सीमा का अत्यधिक विलम्ब हुआ। 1997-98 से संबंधित कार्य 2011 की पुरालेख पर वार्षिक प्रतिवेदन मे प्रकाशित किए गए थे।

#### 5.11.2.1 छापों/मुद्रांकनों को सुरक्षित रखना

मुद्रांकन पत्थर या ताम्र पत्रों के लेखों की कागज पर छाप होते हैं जिन्हें क्षति से बचाने के लिए नियंत्रित वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। पुरा-लेख निदेशालय में 72000 मुद्रांकन थे जिनमें से 3105 मुद्रांकन पुरालेख शाखा, चैन्नै के संरक्षण में थे। चैन्ने शाखा के ये मुद्रांकन बंद अलमारियों/डिब्बों/रैको पर समान्य वातावरण में रखे गए थे। तापमान कम होने और आर्द्रता के नियंत्रण के कारण इनमें से कई मुद्रांकन टूटने योग्य अवस्था में आ गए थे। मुद्रांकन को और क्षति से बचाने के लिए आवश्यक निधियों हेतु चैन्नै शाखा द्वारा भा.पु.स. को प्रस्ताव भेजे जाने को अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया। दस लेख और दस मुद्रांकन के अक्षर पुरालेखन शाखा, नागपुर में मिट गए/क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्षतिग्रस्त होने का कारण और ऐसा होने का समय ज्ञात नहीं हो सका।

## 5.12 भा.पु.स. में क्षमता निर्माण और अनुसंधान

भा.पु.स. के पास देहरादून में विज्ञान शाखा और विज्ञान शाखा की क्षेत्र कार्यालयों में प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। उत्खनित सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण विज्ञान शाखा और विभिन्न बाह्य संस्थानों की मदद से किया जा रहा था।

**अत्यधिक विलम्ब के मामले पाए गए, जिन्हे बीरबल साहनी संस्थान और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और ताम्र नमूनों को भा.प्रौ.सं. कानपुर को भेजा गया था। बड़ोदरा परिमण्डल में जुनीकरण उत्खनन से प्राप्त छः नमूने जून 2005 और जुलाई 2006 में भुवनेश्वर के भौतिकी संस्थान को परीक्षण हेतु भेजा गया परंतु परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। अगस्त 2004 में दक्कन कॉलेज, पुणे को भेजे गए अस्थियों के नमूनों के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए थे।**

पुरातात्विक सामग्री के काल-निर्धारण और विश्लेषण के लिए आधुनिक उपकरण प्राप्त और प्रयोग करने और अपनी प्रयोगशाला निर्मित करने में भा.पु.स. की असफलता से इसकी क्षमता निर्माण और अनुसंधान गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

***अनुशंसा 5.8:*** *भा.पु.स. को आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्यागिकी के प्रयोग में वृद्धि करनी चाहिए, इसके कर्मिकों की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और स्वयं की एक उन्नत काल निर्धारण प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार किया (मई 2013)।

इस प्रकार उत्खनन के कार्य को कार्यान्वित करने में भा.पु.स. की कार्यप्रणाली में उत्खनन हेतु नीति और मानदण्डों का अभाव उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त, उत्खनन कार्यों का प्रतिवेदन लिखने एवं प्रकाशित करने में विलंब से खोजों और उत्खनन गतिविधियों में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

## मामला अध्ययन 7 : हड़प्पा स्थल

**1947 में सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल अर्थात् हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, जो पिछले दो दर्शकों में भा.पु.स. के प्रयत्नों की प्रदर्शनीय वस्तुएं थी, पाकिस्तान में रह गईं । स्वतंत्रता के बाद प्रथम दो दर्शकों में भा.पु.स. ने अपने प्रयत्न नए हड़प्पा स्थलों की खोज करने में केन्द्रित कर दिए जिससे उल्लेखनीय खोजें हुई अर्थात लोथल, कालीबंगां और रोपड़। अनुवर्ती खोजों जैसे ढोलावीरा, राखीगढ़ी इत्यादि ने इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को आगे समझने में और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकाशित करने में सहायता की। इस प्रकार ये स्थल भारतीय इतिहास और पुरातत्व के सबसे महत्वपूर्ण संकेत चिन्हत हैं।**

**इस लेखापरीक्षा के दौरान, हड़प्पा सभ्यता के इन स्थलों का दौरा किया गया और यह पाया कि पश्च-उत्खनन अनुरक्षण संलेख के न होने के कारण इनका रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था।**

तालिका 5.3 उत्खनन रिपोर्टों की स्थिति

| स्थल | उत्खनन की स्थिति | उत्खनन रिपोर्ट की स्थिति |
|---|---|---|
| धोलावीरा, गुजरात | 1989-93, 1994-95, 1996-2004<br>**अपूर्ण** | **अपूर्ण** |
| रंगपुर, गुजरात | 1935,1947, 1953-56<br>**अपूर्ण** | अब तक किए गए उत्खनन की रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। |
| राखीगढ़ी, हरियाणा | 1997-98 से 1999-2000<br>**अपूर्ण** | **अपूर्ण** |
| रोपड़, हरियाणा | 1953-54, 1954-55 2011-12<br>**अपूर्ण** | **अपूर्ण** |
| सांगोल, पंजाब | 1986-87 से 1990-91<br>**अपूर्ण** | **अपूर्ण** |
| लोथल, गुजरात | 1955-62<br>**अपूर्ण** | अब तक किए गए उत्खनन की रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। |
| कालीबंगां, राजस्थान | **1961-69**<br>**अपूर्ण** | अब तक किए गए उत्खनन की रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। |

**अपूर्ण उत्खनन कार्य के अतिरिक्त यह पाया गया कि अब तक किए गए कार्य का उचित ढंग से संरक्षण और प्रदर्शन नहीं किया गया था। नियमित निरीक्षण न होने के कारण ये स्थल अतिक्रमण और क्षय की अवस्था में थे।**

तालिका 5.4 हड़प्पा स्थलों की स्थिति और प्राप्त पुरावशेष

| स्थल | स्थल की स्थिति | प्राप्त पुरावशेषों की स्थिति |
|---|---|---|
| **धोलावीरा गुजरा**<br> <br>धोलावीरा का उत्खननित स्थल | ▪ स्थल उचित ढ़ंग से बाड़े से घेरा नहीं गया था।<br>▪ मृदाभांड के टुकडे, मिट्टी के कंगन, गोलाकार बटन, बहुमूल्य पत्थर स्थल पर बिखरे पड़े थे और वहां आने वालों के उसके ऊपर चलने से नष्ट हो रहे थे।<br>▪ उत्खनित स्थल के पास पाए गए तांबें के और मोतियों के कारखानों दोनों पर स्थानीय किसान अप्राधिकृत कृषि कार्य कर रहे थे ।<br>▪ गाईड की कोई सुविधा नहीं थी। | एक स्थल संग्रहालय का रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें एक "व्याख्या-सह सूचना केन्द्र" है और पुरावशेषों के 61 फोटो और 295 वस्तुएं हैं। बताया गया है कि बाकी पुरावशेष रिपोर्ट लेखन कार्य के लिए दिल्ली में उत्खनन दल के पास हैं। |
| **रंगपुर, गुजरात**<br>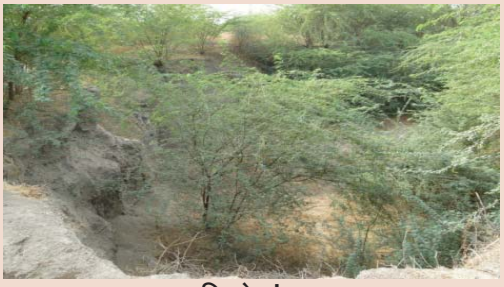<br>वनस्पति से ढंका स्थल<br> <br>स्थल पर निर्मित भवन<br>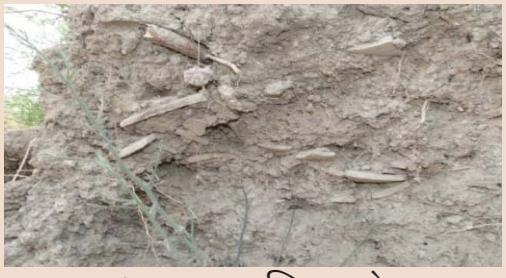<br>स्थल पर पुरातात्विक अवशेष | इस स्थल का सर्वेक्षण मापन, सीमांकन और बाड़े से घेराव नहीं किया गया ।<br>यद्यपि यह एक संरक्षित स्थल है, संरक्षण सूचना पट्ट, संस्कृति सूचना पट्ट नहीं पाया गया।<br>स्थल पर घर निर्मित हो गये थे।<br>स्थल वनस्पति के नीचे ढंका हुआ था।<br>स्थानीय लोग स्थल के एक भाग को घड़े बनाने के लिए, मिट्टी निकालने और गड्ढे खोदने के लिए प्रयोग कर रहे थे। | पुरावस्तुओं को संग्रह कर संरक्षा में नहीं रखा गया। उत्खनन के समय संग्रहित पुरावशेषों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। |

| स्थल | स्थल की स्थिति | प्राप्त पुरावशेषों की स्थिति |
|---|---|---|
| **राखीगढ़ी, हरियाणा**<br> <br>स्थल को गोबर के ढेर और टूटे बाड़े<br> <br>संरक्षित स्थल पर श्मशान भूमि | स्थल पर लगाए गए बाड़े कई स्थानों पर टूटे गए थे। गोबर के ढेर थे।<br>इस टीले का प्रयोग श्मशान भूमि और सार्वजनिक शौचालय के रूप में हो रहा था।<br>स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे। | उत्खनित संग्रहण भा.पु.स. के पास था। |
| **रोपड़ हरियाणा**<br> <br>रोपड़ हरियाणा<br> <br>स्थल के चारों ओर निर्माण | स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे और टीले के तीन ओर घनी आबादी थी।<br>स्थल का महत्व बताने के लिए कोई संस्कृति सूचनापट्ट नहीं था। टीले की नालागढ़ कोठी का एक भाग भा.पु.स. द्वारा कार्यालय, अतिथिगृह और भण्डारगृह के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। | 1992 में पुरावशेषों के भण्डारण के लिए एक स्थल संग्रहालय बनाया गया। इसे जनता के लिए 1998 में खोला गया। |

| स्थल | स्थल की स्थिति | प्राप्त पुरावशेषों की स्थिति |
|---|---|---|
| **सांगोल, पंजाब**<br> <br>सांगोल के उत्खनित स्थल का खराब रख-रखाव | ▪ स्थल पर उचित ढंग से बाडे नहीं लगाए गए थे और स्थल को ग्रामीण श्मशान घाट के रूप में और शौच के लिए प्रयोग कर रहे थे।<br>▪ स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे। | उत्खनित संग्रहण भा.पु.स. और राज्य सरकार के पास थे। |
| **लोथल, गुजरात**<br> <br>उत्खनित स्थल, लोथल | स्थल बिना किसी बाडे या संरक्षण के पड़ा था।<br>दीवारे से कुछ ईंटें गिर गई थी।<br>ईंट की दीवारें क्षतिग्रस्त पाई गईं। | उत्खनित संग्रहण को स्थल संग्रहालय में रखा गया था। |
| **कालीबंगां, राजस्थान**<br> <br>उत्खनित स्थल, कालीबंगां | स्थल को पूरी तरह बाडे से घेरा नहीं गया था। स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे। स्थल का उचित ढंग से विकास और रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। | स्थल संग्रहालय में मात्र 267 उत्खनित संग्रहण रखे गए थे। बाकी पुरावशेष भा.पु.स. दिल्ली ले जाए गए थे। |

# मामला अध्ययन 8: अशोक के शिलालेख

धारवाड़ परिमंडल में उडैगोलाम में अशोक का शिलालेख

दिल्ली में अशोक का शिलालेख

## संक्षिप्त इतिहास

राजा अशोक, मानव इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। 261 ई.पू. में कलिंग युद्ध जीतनें के उपरांत वह पूर्ण रूप से बदल गया। अपने शेष सारे जीवन उसने, बुद्ध का संदेश विश्वभर में फैलाने में अपने सारे संसाधन लगाने का निर्णय लिया। अशोक ने पत्थरों पर उकेरे गए धार्मिक संदेश जारी किए। अशोक के शिलालेख बौद्ध शिक्षाओं से संबंधित संदेश और भारत के सबसे प्राचीन शिलालेखों के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इन्हें कई भाषा व लिपियों में लिखा जाता था, परंतु भारत में पाए गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करके प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ये शिलालेख दो प्रकार के थे अर्थात स्वस्थाने शिलालेख और स्तंभलेख। शिलालेख को पुनः उनके काल के आधार पर दो श्रेणियों, "मुख्य" शिलालेख और "गौण" शिलालेख में बांटा गया है। गौण शिलालेख सबसे पुराने हैं, जिसके बाद मुख्य शिलालेख आते हैं। गौण शिलालेख को पुनः शिलालेख-I और शिलालेख-II में बांटा गया है। मुख्य शिलालेख भारत भर में पाए गए जिनमें से 14 अशोक की व्यक्तिगत उद्घोषणाएं हैं। इन शिला व स्तम्भलेखों को पूरे उपमहाद्वीप में राजमार्गों, व्यापार मार्गों और तीर्थ स्थलों पर प्रमुख स्थानों पर शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए लगाया जाता था।

## वर्तमान स्थिति

भा.पु.स. अपने विभिन्न परिमंडलों अर्थात धारवाड़, वडोदरा, दिल्ली, देहरादून, इत्यादि के माध्यम से 12 अशोक शिलालेखों का संरक्षण कर रहा था। इन शिलालेखों को विशेष सावधानी और देखभाल की आवश्यकता थी क्योंकि इन्हें उनके स्थान पर यथावत बनाए रखना था और मौसम में खुले पड़े थे, इसलिए इन्हें समुचित संरक्षण तथा सफाई की आवश्यकता थी। यह पाया गया कि भा.पु.स. ने इन 2000 वर्षों से अधिक पुराने शिलालेखों के लिए विशेष रूप से कोई नीति

तैयार और लागू नहीं की। इन शिलालेखों में से पांच[44] का संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पर निम्न अनियमितताएं उजागर हुईः

## गुमशुदा स्मारक

भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, रांची परिमंडल में 12 स्मारक थे, जिनमें से एक अशोक शिलालेख था। तथापि परिमंडल कार्यालय ने यह सूचित किया कि स्मारक 11 ही थे और कोई अशोक शिलालेख नहीं था। नहीं भा.पु.स. मुख्यालय, ना ही रांची परिमंडल ने स्मारकों की सूची से इस विसंगीत को हल किया ।

## वर्गीकरण

यद्यपि यह स्पष्ट था कि अशोक के शिलालेखों को मुख्य और गौण शिलालेखों में बांटा गया, परंतु भा.पु.स. ने केन्द्र द्वारा संरक्षित अशोक शिलालेखों के मुख्य और गौण शिलालेखों में वर्गीकृत नहीं किया। स्थल पर शिलालेखों में वर्गीकरण के विवरण में दी गई सूचना में इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी कि वह शिलालेख मुख्य शिलालेख है, या गौण।

## संरक्षण

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में पता चला कि भा.पु.स. इन अशोक शिलालेखों की उचित ढ़ंग से सुरक्षा एवं संरक्षण नहीं कर रहा था। खराब संरक्षण का सबसे स्पष्ट मामला धारवाड़ परिमंडल में उदैगोलाम के अशोक शिलालेख का पाया गया जहां शिलालेख को बचाने के लिए शिला पर ही बड़े स्तम्भ खड़े किये गए जिससे शिलालेख क्षतिग्रस्त हो गया।

इसी प्रकार शिलालेखों को खराब मौसम से बचाने के लिए जूनागढ़, गुजरात के शिलालेख के चारों और एक बड़ा हॉल और निट्टूर धारबाड़ परिमंडल के शिलालेख पर एक पत्थर की पटरियों का आश्रय बनाया गया। तथापि यह पाया कि दोनों शिलालेखों पर बारिश का पानी आ रहा था और इन बहुमूल्य पत्थरों को क्षति पहुंच रही थी।

[44] दिल्ली परिमंडल, वडोदरा परिमंडल, जनागढ़, गुजरात देहरादून परिमंडल में कल्सी और निटटेर और उडगोलाम के अशोक शिला संदेश

निट्टूर, धारबाड़ में अशोक शिलालेख पर पानी के रिसाव से पड़े धब्बे,

जूनागढ़ गुजरात में अशोक शिलालेख के शिलालेख पर धब्बे

दिल्ली[45] में शिलालेख पर लोहे की छडों की बाड़ लगाई गई थी। तथापि यह पाया गया कि आगंतुक शिलालेख को न केवल छू रहे थे बल्कि उस पर धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे। यह भी पाया गया कि इस स्थान के आस-पास स्थित उद्यान का उचित ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था और स्थल पर अतिक्रमण भी पाया गया। स्थल पर 2010 में लगाए गए संकेत चिह्न गायब पाए गए।

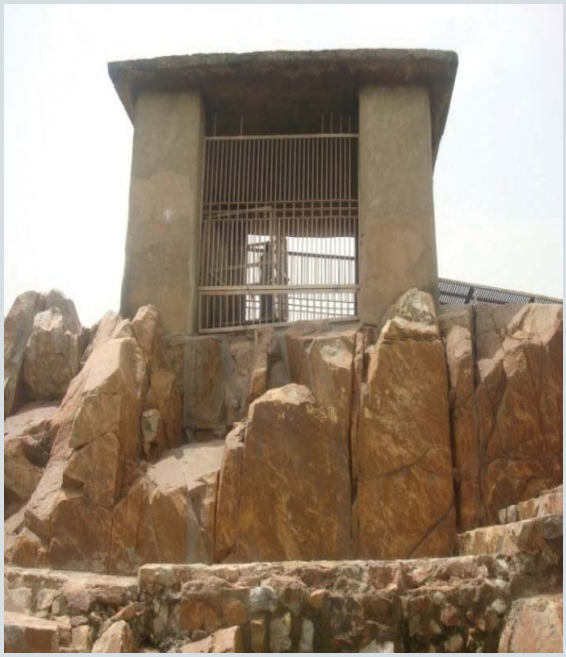

दिल्ली के परिमंडल में आवृत्त अशोक शिलालेख

शिलालेख पर की गई धार्मिक क्रियाएं

[45] हौज खास । उप परिमंडल में कैलाश के पूर्व में

स्थल के शिलालेखों का अनुवाद

अशोक शिलालेख से गायब संकेत चिह्न

## दिल्ली में अशोक का शिलालेख

इसके विपरीत यह पाया गया कि कल्सी, देहरादून का अशोक शिलालेख का उचित ढंग से रख-रखाव हो रहा था। इसे एक गुंबद से ढंका गया था जिसमें शिलालेख सुरक्षित रहता था और आगंतुकों को शिलालेख को छूने की अनुमति नहीं थी।

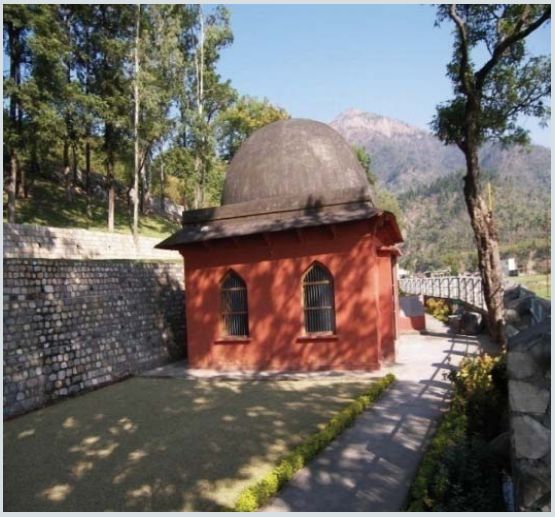

कल्सी, देहरादून में अशोक का शिलालेख

## शिलालेखों का अनुवाद

चूंकि ये शिला लेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, भा.पु.स. द्वारा इन शिलालेख का अनुवाद कर स्थल पर समुचित संकेतक चिह्न प्रदान करना अपेक्षित था। यद्यपि सभी अशोक शिलालेखों को पढ़ लिया और अनुवाद कर लिया गया है, दिल्ली को छोड़कर इन स्थलों पर आगंतुकों के लाभ हेतु कोई अनुवाद प्रदान नहीं किया गया था।